# स्पेशल टास्क फोर्स, उ0प्र0 लखनऊ।

## प्रेस–नोट संख्याः 305, दिनांक 17–10–2024

### थाना घोसी, जनपद मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 459/2023 मे वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित शातिर अपराधी संदीप गुप्ता, अलवर (राजस्थान) से गिरफ्तार।

दिनाक 17–10–2024 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को थाना घोसी, जनपद मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 459/2023 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम में वांछित रूपये 50,000/– का पुरस्कार घोषित शातिर अपराधी संदीप गुप्ता को अलवर (राजस्थान) से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–**

संदीप गुप्ता पुत्र संत गुप्ता, निवासी रक्सा डौनिया, थाना पकडी, जनपद बलिया।

**गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः–**

एम0आई0ए0 औद्योगिक नगर, थाना औद्योगिक नगर, जनपद अलवर (राजस्थान)। दिनांक 17–10–2024

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर अपराध करने एवं अन्य अपराधों में लिप्त होने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुक्रम में श्री शैलेश प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0, वाराणसी के पर्यवेक्षण में निरीक्षक श्री अमित श्रीवास्तव एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, वाराणसी द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान अपराधी संदीप गुप्ता की जनपद अलवर (राजस्थान) में लुकछिप कर रहने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर उ0नि0 श्री शाहजादा खॉ एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, वाराणसी के नेतृत्व में टीम को अलवर (राजस्थान) भेजा गया। वहॉ पर धरातलीय अभिसूचना संकलन के दौरान विश्वस्त सूत्र के माध्यम से ज्ञात हुआ कि रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अपराधी संदीप गुप्ता एम0आई0ए0 औद्योगिक नगर, थाना औद्योगिक नगर, जनपद अलवर (राजस्थान) के पास मौजूद है, यदि शीघ्रता की जाये तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, वाराणसी टीम द्वारा विश्वस्त सूत्र द्वारा बताये गये स्थान पर पहुंचकर संदीप गुप्ता उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

अभिसूचना संकलन एवं गिरफ्तार अभियुक्त से पूछतांछ से पाया गया कि अभियुक्त संदीप गुप्ता कुख्यात अन्तर्राज्यीय पशु तस्कर है। संदीप गुप्ता अपने गिरोह के सदस्यों के साथ पूर्वांचल के विभिन्न जनपदों से दुधारू गोवंश पशुओं की तस्करी कर पण्डुआ (प0बंगाल) में ले जाकर ऊॅचे दामों पर वहॉ के स्थानीय पशु तस्करों को बेच दिया जाता है। इसी क्रम में दिनांक 04–10–2023 को जनपद मऊ के थाना घोसी क्षेत्रान्तर्गत मधुबन मोड़ के पास स्थानीय पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी कि एक वाहन आते हुये दिखायी दिया, जिसे पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किये जाने पर संदीप गुप्ता वाहन को मय पशुओं सहित छोडकर मौके से फरार हो गया था। इस संबंध में थाना घोसी पर मु0अ0सं0 459/2023 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत कराया

गया था, जिसमें संदीप गुप्ता पर स्थानीय पुलिस द्वारा रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित किया गया। संदीप गुप्ता तभी से अलवर (अलवर) राजस्थान में लुकछिप कर रह रहा था।

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्त संदीप गुप्ता को मा0 न्यायालय जनपद अलवर(राजस्थान) में प्रस्तुत कर, पुलिस ट्रांजिट रिमाण्ड लिये जाने की विधिक कार्यवाही की जा रही है।